

07<sup>4</sup>/<sub>25</sub> पत्रावली पेशा हुई। वादी एवं उनके  
अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। पत्रावली के  
अनवान के अनुसार तीन बार आवाजे लगाई  
जाने के बावजूद वादी एवं उनके अधिवक्ता  
अनुपस्थित रहे हैं। लिखाजा पत्रावली अदम  
हजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की  
जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर  
नंबर से कम हो।



3  
सहायक कलेक्टर एवं बदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बालेश्वर